न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

नंबर मुकदमा:— 402/22

मांगीलाल पुत्र बिशनाराम जाति जाट निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू

.................प्रार्थी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र डावाराम आयु 60 वर्ष जाति जाट निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

...............अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 क(1)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थितः— 1. श्री मनोज एडवोकेट वास्ते प्रार्थी

2. पेरोकार राज

—: निर्णय :—

दिनांकः— 15/3/22

प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीएक्ट के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी मांगीलाल पुत्र बिशनाराम जाति जाट निवासी ग्राम गेवरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त का है जो कि प्रार्थी के कब्जा, काश्त, खातेदारी की कृषि भूमि उपखण्ड क्षेत्र बीदासर में स्थित ग्राम गेवरसर में खेत खसरा संख्या 309/218 तादादी 0.3794 हेक्टेयर स्थित है जिसको प्रार्थी काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के उक्त कृषि भूमि के वर्तमान में कोई रास्ता नहीं लगता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु काफी परेशानी हो रही है और पिछले दौ वर्षों से प्रार्थी का खेत बिना काश्त किये ही पडा है। प्रार्थी के खेत के सबसे नजदीकी कटाणी रास्ता खेत खसरा संख्या 308/218 की उतरी पश्चिमी कुंट से गुजरने वाला रास्ता ही है। इससे नजदीकी प्रार्थी के खेत के अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है। इस कारण प्रार्थी अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में कृषि प्रयोजनार्थ आने जाने हेतू अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण अपने पडौसी खातेदार/अप्रार्थी संख्या 1 एक के खेत खसरा संख्या 308/218 तादादी 3.2122 हेक्टेयर की उतरी पश्चिमी कुंट से गुजरने वाले कटाणी रास्ता से फंटकर अप्रार्थी संख्या 1 एक के खेत की पश्चिमी सींव के पास—पास दौ गंठा (16.50 फुट) चौडा नया रास्ता कायम करवाना चाहता है। इस रास्ता के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन का ओर कोई नजदीकी कटाणी रास्ता मौजुद नहीं है। प्रार्थी द्धारा अप्रार्थी संख्या 1 एक से कई बार मौखिक रूप से निवेदन किया कि आपके खेत में सें मेरे खेत में जाने का सबसे नजदीकी रास्ता है इस कारण प्रार्थी को आपके खेत की पश्चिमी सीवं के पास पास से जाने दिया जावे। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 एक ने प्रार्थी को अपने खेत की पश्चिमी सींव के पास पास से जाने हेतु मना कर दिया। इस कारण प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वो न्यायालय से अपने खेत खसरा संख्या 309/218 वाके रोही गेवरसर में जाने के लिए खेत खसरा संख्या 308/218 की पश्चिमी सींव के पास—पास दौ गंठा (16.50 फुट) चौडा नया रास्ता की घोषणा करवाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक कटाणी रास्ता अंकित करायें जिसके लिए प्रार्थी को कानूनी अधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थी जिला स्तरीय समिति द्धारा निर्धारीत दर से रास्ते की भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

...कर अदा करने को तैयार है। इसलिए प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क (1) के अन्तर्गत अनुमति हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आदि–आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर कटाणी रास्ता करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार बीदासर से मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। जो शामिल मिसल है। तहसीलदार बीदासर की जांच रिपोर्ट इस प्रकार से है कि प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत मे जाने के लिए किसी रास्ते का उपयोग नहीं कर रहा है और ना ही प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता की व्यवस्था है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता की उसको सख्त आवश्यकता है। प्रार्थी प्रतिकर की रकम देने व भूमि के बदले भूमि देने के लिए सहमत है लेकिन अप्रार्थी प्रतिकर की रकम लेने व भूमि के बदले भूमि लेने पर भी सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता पर कोई पेड व निर्माण नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी तथा तहसीलदार बीदासर की मौका जाचं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बीदासर की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश पारित किया जाता है कि :–

1. तहसीलदार बीदासर की जांच रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 308/218 तादादी 3.2122 हेक्टेयर भूमि की पश्चिमी सींव के पास–पास कटाणी मार्ग से प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 309/218 तादादी 0.3794 हेक्टेयर भूमि तक 462 फुट लम्बा व 16.50 फुट चौडा (0.0708 हेक्टेयर) नये रास्ता का प्रतिकर 1,59,486 रूपये अक्षरे एक लाख उनसठ हजार चार सौ छियासी रूपया प्रार्थी ने अप्रार्थी रामचन्द्र के नाम जरीये डिमाण्ड ड्राफ्ट न्यायालय में जमा करवा दिया है। इस कारण खसरा संख्या 308/218 तादादी 3.2122 हेक्टेयर भूमि की पश्चिमी सींव के पास–पास कटाणी मार्ग से प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 309/218 तादादी 0.3794 हेक्टेयर भूमि तक 462 फुट लम्बा व 16.50 फुट चौडा नया कटाणी रास्ता कायम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। इसी अनुरूप नक्शा में अंकन किया जावे। रास्ता की भूमि का पृथक से बट्टा नंबर आवंटित कर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उसकी किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावे। तहसीलदार बीदासर की रिपोर्ट व नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा प्रार्थी स्वंय वहन करें। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 15/3/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

Scanned by CamScanner